रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21032022-234326
CG-DL-E-21032022-234326

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 212] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 21, 2022/फाल्गुन 30, 1943
No. 212] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 21, 2022/PHALGUNA 30, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 मार्च, 2022

सा.का.नि. 215(अ).—केंद्र सरकार, निम्नलिखित कतिपय प्रारूप नियम में, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1989 का 59) की धारा 147 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और संशोधन करने का प्रस्ताव करती है। इसको उक्त अधिनियम की धारा 212 की उप-धारा (1) द्वारा यथापेक्षित उनके द्वारा प्रभावित होने की संभावना वाले सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है और एतदद्वारा नोटिस दिया जाता है कि उक्त प्रारूप नियमों को उस तारीख से 30 दिन की अवधि समाप्त होने के बाद विचारार्थ स्वीकार कर लिया जाएगा जिसको राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां जनता के लिए उपलब्ध करायी जाती हैं ।

इन प्रारूप नियमों के बारे में आपत्तियां एवं सुझाव, यदि कोई हो, को संयुक्त सचिव (एमवीएल, परिवहन और टोल), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 और भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) को एसवाई नंबर 115/1, वित्तीय जिला, नानकरामगुडा, गाचीबावली, हैदराबाद - 500032 भेजे जा सकते हैं या comments-morth@gov.in और mtp-irdai@irdai.gov.in पर ईमेल किए जा सकते हैं।

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ - (1) इन नियमों को वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए मोटर पर-पक्षकार प्रीमियम और देयता नियम कहा जा सकता है।

(2) ये नियम राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

(3) वित्तीय वर्ष 2022-23 और उससे आगे के लिए नई दरों के अधिसूचित होने तक वाहनों के विभिन्न वर्गों के लिए असीमित देयता के लिए मोटर पर-पक्षकार बीमा कवर के लिए प्रीमियम दरें नीचे तालिका में दी गई हैं:

तालिका I

श्रेणी	वाहन का प्रकार	दरें (रु.)
	निजी कारें	
	1000 सीसी. से अधिक नहीं	2,094
	1000 सीसी. से अधिक, लेकिन 1500 सीसी. से अधिक नहीं	3,416
	1500 सीसी. से अधिक	7,897
	दोपहिया	
	75 सीसी. से अधिक नहीं	538
	75 सीसी. से अधिक, लेकिन 150 सीसी. से अधिक नहीं	714
	150 सीसी. से अधिक लेकिन 350 सीसी. से अधिक नहीं	1,366
	350 सीसी. से अधिक	2,804
ए1	माल वाहक वाणिज्यिक वाहन (3 पहिया वाहनों के अलावा) - सार्वजनिक	
	जीवीडब्ल्यू 7500 किलोग्राम से अधिक नहीं	16,049
	7500 किलोग्राम से अधिक, लेकिन 12000 किलोग्राम से अधिक नहीं	27,186
	12000 किलोग्राम से अधिक, लेकिन 20000 किलोग्राम से अधिक नहीं	35,313
	20000 किलोग्राम से अधिक, लेकिन 40000 किलोग्राम से अधिक नहीं	43,950
	40000 किलोग्राम से अधिक	44,242
ए2	माल वाहक वाणिज्यिक वाहन (3 पहिया वाहनों के अलावा) - निजी	
	जीवीडब्ल्यू 7500 किलोग्राम से अधिक नहीं	8,510
	7500 किलोग्राम से अधिक, लेकिन 12000 किलोग्राम से अधिक नहीं	17,352
	12000 किलोग्राम से अधिक, लेकिन 20000 किलोग्राम से अधिक नहीं	10,969
	20000 किलोग्राम से अधिक, लेकिन 40000 किलोग्राम से अधिक नहीं	17,626
	40000 किलोग्राम से अधिक	25,038
ए3	माल वाहक मोटरचालित तिपहिया और मोटरचालित पेडल साइकिल - सार्वजनिक वाहक	
	ई-कार्ट को छोड़कर	4,492
ए4	माल वाहक मोटरचालित तिपहिया और मोटरचालित पेडल साइकिल - निजी वाहक	
	ई-कार्ट को छोड़कर	3,922

IndiaCode

बी	ट्रेलरों	
	6 एचपी तक के कृषि ट्रैक्टर	910
	विविध और विशेष प्रकार के वाहन (वर्ग-ग) सहित अन्य वाहन (प्रत्येक ट्रेलर के लिए, अधिक के लिए कृपया ट्रेलरों की संख्या से गुणा करें)	2,485

तालिका II

श्रेणी	वाहन का प्रकार	दरें (रु.)	
		मूल दर	प्रति लाइसेंसधारी यात्री
सी1ए	भाड़े या रिवॉर्ड के लिए यात्री वाहक हेतु उपयोग किए जाने वाले चार पहिया वाहन, जिनकी वहन क्षमता 6 यात्रियों से अधिक नहीं है		
	1000 सीसी. से अधिक नहीं	6,040	1,162
	1000 सीसी से अधिक, लेकिन 1500 सीसी. से अधिक नहीं	7,940	978
	1500 सीसी. से अधिक	10,523	1,117
सी1बी	भाड़े या रिवॉर्ड के लिए यात्री वाहक हेतु उपयोग किए जाने वाले तिपहिया वाहन, जिनकी वहन क्षमता 6 यात्रियों से अधिक नहीं है		
	ई-रिक्शा को छोड़कर	2,539	1,214
सी2	भाड़े या रिवॉर्ड के लिए यात्री वाहक हेतु उपयोग किए जाने वाले चार या अधिक पहिया वाहन, जिनकी वहन क्षमता 6 यात्रियों से अधिक है		
	शैक्षणिक संस्थान बस	13,729	839
	शैक्षणिक संस्थान के अलावा बस	14,343	877
सी3	भाड़े या रिवॉर्ड के लिए यात्री वाहक हेतु उपयोग किए जाने वाले मोटरचालित तिपहिया यात्री वाहन, जिनकी वहन क्षमता 6 यात्रियों से अधिक, लेकिन 17 यात्रियों से अधिक नहीं है	6,763	1,349
सी2	भाड़े या रिवॉर्ड के लिए यात्री वाहक हेतु उपयोग किए जाने वाले मोटरचालित तिपहिया यात्री वाहन, जिनकी वहन क्षमता 17 यात्रियों से अधिक है	15,502	948
सी4	भाड़े या रिवॉर्ड के लिए यात्री वाहक हेतु उपयोग किए जाने वाले मोटरचालित दोपहिया वाहन,		
	75 सीसी. से अधिक नहीं	861	580
	75 सीसी. से अधिक, लेकिन 150 सीसी. से अधिक नहीं	861	580
	150 सीसी. से अधिक, लेकिन 350 सीसी. से अधिक नहीं	861	580
	350 सीसी. से अधिक	2,254	580

IndiaCode

तालिका III

श्रेणी	वाहन का प्रकार	दरें (रु .)
डी	विशेष प्रकार के वाहन	
	पैदलयात्री नियंत्रित कृषि ट्रैक्टर, जिनकी हॉर्स पावर रेटिंग 6 एचपी से अधिक नहीं है, शव वाहन और प्लेन लोडर	1,645
	अन्य विविध और विशेष प्रकार के वाहन	7,267
इ	मोटर व्यापार (सड़क पारगमन जोखिम)	
	दूरी 2400 किमी. से अधिक नहीं	1,175
	2400 किमी. से अधिक दूरी	1,412
एफ	मोटर व्यापार (सड़क जोखिम) (मोटर चालित दुपहिया वाहनों को छोड़कर) - (नामित चालक या व्यापार प्रमाणपत्र)	
	पहला नामित ड्राइवर या प्रमाणपत्र	1,498
	5 तक अतिरिक्त ड्राइवर/प्रमाण पत्र के लिए (प्रति ड्राइवर/प्रमाणपत्र)	725
	5 से अधिक, लेकिन 10 से अधिक नहीं अतिरिक्त ड्राइवर/प्रमाण पत्र के लिए (प्रति ड्राइवर/प्रमाण पत्र)	467
	10 से अधिक, लेकिन 15 से अधिक नहीं अतिरिक्त ड्राइवर/प्रमाण पत्र के लिए (प्रति ड्राइवर/प्रमाण पत्र)	404
एफ	मोटर व्यापार (सड़क जोखिम) (मोटर चालित दोपहिया) - (नामित ड्राइवर या व्यापार प्रमाणपत्र)	
	पहला नामित ड्राइवर या प्रमाणपत्र	515
	प्रत्येक अतिरिक्त चालक/प्रमाण पत्र के लिए	257

IndiaCode

तालिका IV

वाहन की श्रेणी	दरें (रु.)
नई निजी कार - तीन साल का एकल प्रीमियम	
1000 सीसी. से अधिक नहीं	6,521
1000 सीसी. से अधिक, लेकिन 1500 सीसी. से अधिक नहीं	10,640
1500 सीसी. से अधिक	24,596
नया दोपहिया- पांच साल का एकल प्रीमियम	
75 सीसी. से अधिक नहीं	2,901
75 सीसी. से अधिक, लेकिन 150 सीसी. से अधिक नहीं	3,851
150 सीसी. से अधिक, लेकिन 350 सीसी. से अधिक नहीं	7,365
350 सीसी. से अधिक	15,117

तालिका V

इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए दरें - गैर यात्री वाहक

श्रेणी	वाहन का प्रकार	दरें (रु.)
	निजी कारें	
	30 किलोवाट से अधिक नहीं	1,780
	30 किलोवाट से अधिक, लेकिन 65 किलोवाट से अधिक नहीं	2,904
	65 किलोवाट से अधिक	6,712
	दोपहिया	
	3 किलोवाट से अधिक नहीं	457
	3 किलोवाट से अधिक, लेकिन 7 किलोवाट से अधिक नहीं	607
	7 किलोवाट से अधिक, लेकिन 16 किलोवाट से अधिक नहीं	1,161
	16 किलोवाट से अधिक	2,383
ए 1	माल वाहक वाणिज्यिक वाहन (3 पहिया वाहनों के अलावा) - सार्वजनिक	
	जीवीडब्ल्यू 7500 किलोग्राम से अधिक नहीं	13,642
	7500 किलोग्राम से अधिक, लेकिन 12000 किलोग्राम से अधिक नहीं	23,108
	12000 किलोग्राम से अधिक, लेकिन 20000 किलोग्राम से अधिक नहीं	30,016
	20000 किलोग्राम से अधिक, लेकिन 40000 किलोग्राम से अधिक नहीं	37,357
	40000 किलोग्राम से अधिक	37,606
ए2	माल वाहक वाणिज्यिक वाहन (3 पहिया वाहनों के अलावा) - निजी	
	जीवीडब्ल्यू 7500 किलोग्राम से अधिक नहीं	7,233
	7500 किलोग्राम से अधिक, लेकिन 12000 किलोग्राम से अधिक नहीं	14,749
	12000 किलोग्राम से अधिक, लेकिन 20000 किलोग्राम से अधिक नहीं	9,324
	20000 किलोग्राम से अधिक, लेकिन 40000 किलोग्राम से अधिक नहीं	14,982
	40000 किलोग्राम से अधिक	21,282
ए2	माल वाहक मोटर चालित तिपहिया और मोटर चालित पेडल साइकिल - सार्वजनिक वाहक	
	ई-काट्र्स	3,139
ए3	माल वाहक मोटर चालित तिपहिया और मोटर चालित पेडल साइकिल - निजी वाहक	
	ई-काट्र्स	3,211

IndiaCode

तालिका VI

<u>इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए दीर्घकालिक दरें - निजी कार और दोपहिया वाहन:</u>

वाहन की श्रेणी	दरें (रु .)
नई निजी कार - तीन साल का एकल प्रीमियम	
30 किलोवाट से अधिक नहीं	5,543
30 किलोवाट से अधिक, लेकिन 65 किलोवाट से अधिक नहीं	9,044
65 किलोवाट से अधिक	20,907
नया दोपहिया- पांच साल का एकल प्रीमियम	
3 किलोवाट से अधिक नहीं	2,466
3 किलोवाट से अधिक, लेकिन 7 किलोवाट से अधिक नहीं	3,273
7 किलोवाट से अधिक, लेकिन 16 किलोवाट से अधिक नहीं	6,260
16 किलोवाट से अधिक	12,849

तालिका VII

<u>इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए दरें - यात्री वाहक</u>

वाहन का प्रकार	किलोवाट सेग्मेंट	मूल टीपी प्रीमियम (रु.)	प्रीमियम प्रति लाइसेंसधारी यात्री (रु.)
सी1ए (भाड़े या रिवॉर्ड के लिए यात्री वाहक हेतु उपयोग किए जाने वाले चार पहिया वाहन, जिनकी वहन क्षमता 6 यात्रियों से अधिक नहीं है)	30 किलोवाट से अधिक नहीं	5,134	988
	30 किलोवाट से अधिक, लेकिन 65 किलोवाट से अधिक नहीं	6,749	831
	65 किलोवाट से अधिक	8,945	949
सी1बी (भाड़े या रिवॉर्ड के लिए यात्री वाहक हेतु उपयोग किए जाने वाले तिपहिया वाहन, जिनकी वहन क्षमता 6 यात्रियों से अधिक नहीं है)	ई-रिक्शा	1,648	789
सी2 (भाड़े या रिवॉर्ड के लिए यात्री वाहक हेतु उपयोग किए जाने वाले चार या अधिक पहिया वाहन, जिनकी वहन क्षमता 6 यात्रियों से अधिक है)	शैक्षणिक संस्थान बस	11,670	713
	शैक्षणिक संस्थान के अलावा बस	12,192	745
सी3 (भाड़े या रिवॉर्ड के लिए यात्री वाहक हेतु उपयोग किए जाने वाले मोटरचालित तिपहिया यात्री वाहन, जिनकी वहन क्षमता 6 यात्रियों से अधिक, लेकिन 17 यात्रियों से अधिक नहीं है)	-	5,749	1,147

IndiaCode

सी2 (भाड़े या रिवॉर्ड के लिए यात्री वाहक हेतु उपयोग किए जाने वाले मोटरचालित तिपहिया यात्री वाहन, जिनकी वहन क्षमता 17 यात्रियों से अधिक है)	-	13,177	806
	3 नहीं	732	493
	3 किलोवाट से अधिक, लेकिन 7 किलोवाट से अधिक नहीं	732	493
सी4 (भाड़े या रिवॉर्ड के लिए यात्री वाहक हेतु उपयोग किए जाने वाले मोटर चालित दोपहिया वाहन)	7 किलोवाट से अधिक, लेकिन 16 किलोवाट से अधिक नहीं	732	493
	किलोवाट से अधिक 16	1916	493

तालिका VIII –क्वाड्रिसाइकिल

श्रेणी	वाहन का प्रकार	दरें (रु .)	
		मूल दर	प्रति लाइसेंसधारी यात्री
क्वाड्रीसाइकल	निजी कार	2,094	एन/ए
	इलेक्ट्रिक प्राइवेट कार (30 किलोवाट से अधिक नहीं)	1,780	एन/ए
	वाणिज्यिक वाहन 500 सीसी से अधिक नहीं	2,539	1,214

दीर्घावधि की दरें - तीन साल का एकल प्रीमियम:

श्रेणी	वाहन का प्रकार	दरें (रु.)
क्वाड्रीसाइकल	नई निजी कार	6,521
	नई इलेक्ट्रिक निजी कार (30 किलोवाट से अधिक नहीं)	5,543

नोट:

i. शैक्षणिक संस्थान बस का तात्पर्य एक ऑम्निबस है, जो किसी कॉलेज, स्कूल या अन्य शैक्षणिक संस्थान के स्वामित्व में है और पूरी तरह से शैक्षणिक संस्थान के छात्रों या कर्मचारियों को इसकी किसी भी गतिविधि के संबंध में परिवहन के उद्देश्य से उपयोग में लाई जाती है।

ii. विंटेज कारों के खंड के लिए, विंटेज कारों के रूप में पंजीकृत उन निजी कारों के लिए पूर्ववर्ती भारतीय मोटर टैरिफ (आईएमटी) की आधार दर के 50% के रियायती मूल्यों को अनुमोदित किया गया है।

iii. इलेक्ट्रिक निजी कारों, इलेक्ट्रिक दोपहिया, इलेक्ट्रिक माल वाहक वाणिज्यिक वाहनों और इलेक्ट्रिक यात्री वाहक वाहनों के लिए मोटर टीपी प्रीमियम दरों पर 15% की छूट को मंजूरी दी गई है और दरें उपरोक्त तालिका V, VI, VII और VIII में दी गई हैं।

iv. हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए मोटर टीपी प्रीमियम दरों पर 7.5% की छूट स्वीकार्य है। सभी दरों को निकटतम रुपये में पूर्णांकित किया जाएगा।

[फा. सं. आरटी-11036/194/2021-एमवीएल]

अमित वरदान, संयुक्त सचिव

नोट : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में अधिसूचना संख्या सा. का. नि., दिनांक द्वारा प्रकाशित किए गए थे और पिछली बार अधिसूचना संख्या.....(अ), दिनांक..... के माध्यम से संशोधित किए गए थे।

IndiaCode

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th March, 2022

G.S.R. 215(E).—The following draft of certain rules proposed to be made in exercise of the powers conferred to the Central Government by subsection (2) of section 147 of the Motor Vehicles, Act, 1988 (59 of 1988) is hereby published as required by sub-section (1) of section 212 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after the expiry of a period of 30 days from the date on which the copies of this notification as published in the Gazette of India, are made available to the public.

Objections and suggestions to these draft rules, if any, may be sent to the Joint Secretary (MVL, Transport & Toll), Ministry of Road Transport and Highways, Transport Bhawan, Parliament Street, New Delhi-110 001 and Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI), Sy No. 115/1, Financial District, Nanakramguda, Gachibowli, Hyderabad – 500032 or on the email: comments-morth@gov.in and mtp-irdai@irdai.gov.in;

1. **Short title and commencement. –** (1) These rules may be called as the Motor Third Party Premium and liability rules for the Financial Year (FY) 2022-23.

(2) These rules shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

(3) The premium rates for Motor Third Party Insurance Cover for unlimited liability for the various classes of vehicles are tabulated below for the Financial Year 2022-23 and beyond till the time new rates are notified:

Table I

Category	Vehicle Type	Rates (Rs)
	Private Cars	
	Not exceeding 1000 cc	2,094
	Exceeding 1000 cc but not exceeding 1500 cc	3,416
	Exceeding 1500 cc	7,897
	Two Wheelers	
	Not exceeding 75 cc	538
	Exceeding 75 cc but not exceeding 150 cc	714
	Exceeding 150 cc but not exceeding 350 cc	1,366
	Exceeding 350 cc	2,804
A1	**Goods Carrying Commercial Vehicles (other than 3 wheelers) - Public**	
	GVW not exceeding 7500 kgs	16,049
	Exceeding 7500 kgs but not exceeding 12000 kgs	27,186
	Exceeding 12000 kgs but not exceeding 20000 kgs	35,313
	Exceeding 20000 kgs but not exceeding 40000 kgs	43,950
	Exceeding 40000 kgs	44,242
A2	**Goods Carrying Commercial Vehicles (other than 3 wheelers) - Private**	
	GVW not exceeding 7500 kgs	8,510
	Exceeding 7500 kgs but not exceeding 12000 kgs	17,352

IndiaCode

	Exceeding 12000 kgs but not exceeding 20000 kgs	10,969
	Exceeding 20000 kgs but not exceeding 40000 kgs	17,626
	Exceeding 40000 kgs	25,038
A3	**Goods Carrying Motorized Three Wheelers and Motorized Pedal Cycles – Public Carriers**	
	except e-carts	4,492
A4	**Goods Carrying Motorized Three Wheelers and Motorized Pedal Cycles – Private Carriers**	
	except e-carts	3,922
B	**Trailers**	
	Agricultural Tractors upto 6 HP	910
	Other vehicles including Miscellaneous & Special Type of Vehicles (Class-C),(For each trailer, for more please multiply by no. of trailers)	2,485

Table II

Category	**Vehicle Type**	**Rates (Rs.)**		
		Basic Rate	**Per Licensed Passenger**	
C1a	**Four wheeled vehicles used for carrying passengers for hire or reward with carrying capacity not exceeding 6 passengers**			
	Not exceeding 1000 cc	6,040	1,162	
	Exceeding 1000 cc but not exceeding 1500 cc	7,940	978	
	Exceeding 1500 cc	10,523	1,117	
C1b	**Three wheeled vehicles used for carrying passengers for hire or reward with carrying capacity not exceeding 6 passengers**			
	except e-rickshaw	2,539	1,214	
C2	**Four or more wheeled vehicles used for carrying passengers with carrying capacity exceeding 6 passengers for hire or reward**			
	Educational institution bus	13,729	839	
	Other than educational institution Bus	14,343	877	
C3	Motorized three wheeled passenger vehicles used for carrying passengers for hire or reward with carrying capacity exceeding 6 passengers but not exceeding 17 passengers	6,763	1,349	
C2	Motorized three wheeled passenger vehicles used for carrying passengers for hire or reward with carrying capacity exceeding 17 passengers	15,502	948	

IndiaCode

C4	**Motorized Two wheelers used for carrying passengers for hire or reward**			
	Not exceeding 75 cc	861	580	
	Exceeding 75 cc but not exceeding 150 cc	861	580	
	Exceeding 150 cc but not exceeding 350 cc	861	580	
	Exceeding 350 cc	2,254	580	

Table III

Category	Vehicle Type	Rates (Rs.)
D	**Special Types of Vehicles**	
	Pedestrian controlled Agricultural Tractors with Horse Power rating not exceeding 6HP, Hearses and Plane Loaders	1,645
	Other Misc & Spl types of vehicles	7,267
E	**Motor Trade (Road Transit Risks)**	
	Distance not exceeding 2400 kms	1,175
	Distance exceeding 2400 kms	1,412
F	**Motor Trade (Road Risks) (Excluding Motorized Two Wheelers) – (Named Driver or Trade Certificate)**	
	1st named driver or certificate	1,498
	For additional drivers/ certificates up to 5 (per driver/certificate)	725
	For additional Drivers/ Certificates exceeding 5 but not exceeding 10 (per driver/ certificate)	467
	For additional Drivers/ Certificates exceeding 10 but not exceeding 15 (per driver/ certificate)	404
F	**Motor Trade (Road Risks) (Motorized Two Wheelers) – (Named Driver or Trade Certificate)**	
	1st named driver or certificate	515
	For each additional Driver/ Certificate	257

IndiaCode

Table IV

Category of Vehicle	Rates (Rs.)
New Private Car – Three year single premium	
Not exceeding 1000 cc	6,521
Exceeding 1000 cc but not exceeding 1500 cc	10,640
Exceeding 1500 cc	24,596
New Two Wheeler – Five year single premium	
Not exceeding 75 cc	2,901

Exceeding 75 cc but not exceeding 150 cc	3,851
Exceeding 150 cc but not exceeding 350 cc	7,365
Exceeding 350 cc	15,117

Table V

Rates for Electric vehicles – Non passenger carrying

Category	Vehicle Type	Rates (Rs)
	Private Cars	
	Not exceeding 30 KW	1,780
	Exceeding 30 KW but not exceeding 65 KW	2,904
	Exceeding 65 KW	6,712
	Two Wheelers	
	Not exceeding 3 KW	457
	Exceeding 3 KW but not exceeding 7 KW	607
	Exceeding 7 KW but not exceeding 16 KW	1,161
	Exceeding 16 KW	2,383
A1	**Goods Carrying Commercial Vehicles (other than 3 wheelers) - Public**	
	GVW not exceeding 7500 kgs	13,642
	Exceeding 7500 kgs but not exceeding 12000 kgs	23,108
	Exceeding 12000 kgs but not exceeding 20000 kgs	30,016
	Exceeding 20000 kgs but not exceeding 40000 kgs	37,357
	Exceeding 40000 kgs	37,606
A2	**Goods Carrying Commercial Vehicles (other than 3 wheelers) - Private**	
	GVW not exceeding 7500 kgs	7,233
	Exceeding 7500 kgs but not exceeding 12000 kgs	14,749
	Exceeding 12000 kgs but not exceeding 20000 kgs	9,324
	Exceeding 20000 kgs but not exceeding 40000 kgs	14,982
	Exceeding 40000 kgs	21,282
A2	**Goods Carrying Motorized Three Wheelers and Motorized Pedal Cycles – Public Carriers**	
	e-carts	3,139
A3	**Goods Carrying Motorized Three Wheelers and Motorized Pedal Cycles – Private Carriers**	
	e-carts	3,211

IndiaCode

Table VI

Long term rates for electric vehicles – Private Cars and Two wheelers:

Category of Vehicle	Rates (Rs.)
New Private Car – Three year single premium	
Not exceeding 30 KW	5,543
Exceeding 30 KW but not exceeding 65 KW	9,044
Exceeding 65 KW	20,907
New Two Wheeler – Five year single premium	
Not exceeding 3 KW	2,466
Exceeding 3 KW but not exceeding 7 KW	3,273
Exceeding 7 KW but not exceeding 16 KW	6,260
Exceeding 16 KW	12,849

Table VII

Rates for Electric vehicles – Passenger carrying

Vehicle type	KW Segments	Basic TP premium (Rs.)	Premium per licensed passenger (Rs.)
C1a (Four wheeled vehicles used for carrying passengers for hire or reward with carrying capacity not exceeding 6 passengers)	Not exceeding 30 KW	5,134	988
	Exceeding 30 KW but not exceeding 65 KW	6,749	831
	Exceeding 65 KW	8,945	949
C1b (Three wheeled vehicles used for carrying passengers with carrying capacity not exceeding 6 passengers)	e-rickshaw	1,648	789
C2 (Four or more wheeled vehicles used for carrying passengers with carrying capacity exceeding 6 passengers for hire and reward)	Educational institution bus	11,670	713
	Other than educational institution bus	12,192	745
C3 (Motorised three wheeled-passenger vehicles used for carrying passengers for hire or reward with carrying capacity exceeding 6 passengers but not exceeding 17 passengers)	-	5,749	1,147
C2 (Three wheeled vehicles used for-carrying passengers for hire and reward with carrying capacity exceeding 17 passengers)	-	13,177	806
C4 (Motorised Two Wheelers used for carrying passengers for hire or reward)	Not exceeding 3 KW	732	493
	Exceeding 3 KW but not exceeding 7 KW	732	493
	Exceeding 7 KW but not exceeding 16 KW	732	493
	Exceeding 16 KW	1916	493

IndiaCode

Table VIII - Quadricycle

Category	Vehicle Type	Rates (Rs.)	
		Basic Rate	Per Licensed Passenger
Quadricycle	Private Car	2,094	N/A
	Electric private Car(Not exceeding 30 KW)	1,780	N/A
	Commercial Vehicles not exceeding 500 CC	2,539	1,214

Long term rates – Three years single premium:

Category	Vehicle Type	Rates (Rs.)
Quadricycle	New Private Car	6,521
	New Electric private Car (Not exceeding 30 KW)	5,543

Note:

I. Educational institution bus means an omnibus, which is owned by a college, school or other educational institution and used solely for the purpose of transporting students or staff of the educational institution in connection with any of its activities.

II. As for the Vintage Cars segment, a discounted price of 50% of the rate based on the erstwhile Indian Motor Tariff (IMT) is approved for those private cars registered as Vintage Cars.

III. A discount of 15% on Motor TP premium rates for Electric Private Cars, Electric Two Wheelers, Electric Goods carrying Commercial Vehicles and Electric Passenger carrying vehicles is approved and the rates are given in the above Tables V, VI, VII & VIII.

IV. A discount of 7.5% on Motor TP premium rates for Hybrid Electric Vehicles is accepted. All rates will be rounded off to the nearest rupee.

[F. No. RT-11036/194/2021-MVL]

AMIT VARADAN, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), vide notification number G.S.R……, dated the …… and last amended vide notification number …..…..(E), dated the …...

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2022.03.21 22:08:42 +05'30'